वृक्ष कटाई के लिए ऑनलाइन आवेदन

नागरिक https://revenue.cg.nic.in/citizenrequest/CitizenRegistrationForm.aspx पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं |

अथवा

राजस्व न्यायालय की वैबसाइट (https://revenue.cg.nic.in/revcase/) में जाकर ऑनलाइन आवेदन विकल्प का उपयोग करके आवेदन कर सकते हैं |

वृक्ष कटाई की ऑनलाइन प्रक्रिया

- नागरिक द्वारा पंजीयन पश्चात आवेदन दर्ज करना
- आवेदन को पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वीकृत करना
- रीडर द्वारा प्रकरण दर्ज करना
- पीठासीन अधिकारी द्वारा सुनवाई, आदेश पत्र जारी करना
- ईश्तेहार, ज्ञापन, प्रतिवेदन की कार्यवाही
- अंतिम आदेश जारी करना
- प्रकरण नस्तिबद्ध करना एवं पालन प्रतिवेदन हेतु अग्रेषित करना

आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देश

- क्रमशः सेक्शन 1,2,3 एवं 4 की सही जानकारी दें |

- आवेदन से संबन्धित आवश्यक दस्तावेज़ जो आपके पास उपलब्ध हैं उनकी पीडीएफ़ बनाकर **सेक्शन 4** मे अवश्य अपलोड करें |

- आवेदक एवं अनावेदक की जानकारी सही-सही भरें|

- ओटीपी प्राप्त करने हेतु मोबाइल नंबर का चयन करें |**ओटीपी प्राप्त करें** बटन पर क्लिक करने पर 4 अंको राजस्व ओटीपी प्राप्त होगा |

- मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी की एंट्री कर सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करें |

- कम्प्युटर जनरेटेड नंबर के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं |

वृक्ष कटाई के आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज -

- भूमि के खसरा-बी1
- एवं सह खातेदारों की सहमति का शपथ-पत्र,
- बैंक खाता का विवरण,
- रोपण के भू-खण्ड की चारों दिशाओं से लिये गये 4 फोटोग्राफ PDF में अपलोड करना होता है |

- साथ ही भूमि की जानकारी, आवेदक/अनावेदक की जानकारी भरें |

- आवेदक के मोबाइल पर OTP भेजा जाता है |
- इसके बाद एक आवेदन क्रमांक प्राप्त होता है जिससे आवेदन की स्थिति पता की जा सकती है |

- **अंतिम आदेश पश्चात अंतिम आदेश / निरीक्षण रिर्पोट राजस्व न्यायालय की वेबसाईट में प्रकरण क्रमांक दर्ज कर प्राप्त की जा सकती है।**

आवेदन चयन करें +

आवेदन की जानकारी भरें

1. वाद भूमि की जानकारी +

◉ ख़सरा पाँचसाला ○ परिवर्तित भूमि संधारण ख़सरा ○ नजूल संधारण ख़सरा

जिला :* --चुने--

न्यायालय जहां आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं :*

तहसील चुनें :*

ग्राम का नाम :*

खसरा क्रमांक चुनें : *

2.आवेदक की जानकारी +

आवेदक/अपीलार्थी/कार्यालय का नाम :- *

पिता/पति/विभाग का नाम :- *

आधार कार्ड न. :-

कृपया नाम डालिए

वर्ग :- --चुनेंयं--

जाति :-

लिंग :- ---चुनिए---

उम्र :-

मोबाईल/सम्पर्क नम्बर :- 6260518395

ई-मेल :-

अधिवक्ता का नाम :-

अधिवक्ता का मोबाईल नम्बर :-

पता :-

आवेदक जोड़ें

3.अनावेदक की जानकारी +

अनावेदक/कार्यालय का नाम :- *

पिता/पति/विभाग का नाम :- *

आधार कार्ड न. :-

वर्ग :-

--च्ूंनेयँ--

जाति :-

लिंग :-

---च्ूंनेए---

उम्र :-

मोबाईल/सम्पर्क नम्बर :-

ई-मेल :-

अधिवक्ता का नाम :-

अधिवक्ता का मोबाईल नम्बर :-

पता :-

अनावेदक जोड़ें

4. सामान्य जानकारी ×

मामले का प्रकार :*

मूल मामला

आवेदन का विवरण :

राजस्व :वृक्षों को काटने की अनुमति के आवेदन पत्र

आवेदन लिखें

अपलोड करें: आवेदन पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज :

Choose File Select file

* आवेदन से संबधित सभी आवश्यक दस्तावेज की एक पीडीऍफ़ फाइल बनाकर अपलोड करें |
* सीमांकन हेतु देय राशि को ई चालान द्वारा वेरिफ़ाई करें एवं खसरा बी1 , नक्शा का पीडीएफ़ अलग अलगा अवश्य अपलोड करें
* व्यपवर्तन (डायवर्सन) के आवेदन के साथ खसरा B1,नक्शा एवं T&C (टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग) द्वारा जारी NOC अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें | राजस्व न्यायालय में राजस्व प्रकरणों के आवेदन के लिए विभाग द्वारा कोई शुल्क नही लिया जाता है ।

ओटीपी प्राप्त करें

सुरक्षित करें

- **आवेदन सीधे संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को दिखने लगता है जिसे प्रकरण दर्ज करने के लिए रीडर को प्रेषित किया जाता है |**
- **पीठासीन अधिकारी से अग्रेषित आवेदन रीडर दे द्‍वारा दर्ज किया जाता है जिसके बाद एक प्रकरण क्रमांक जनरेट होता है | जो कि आगे की सभी कार्यवाहियों के लिए उपयोग किया जाता है |**
- **पीठासीन अधिकारी द्‍वारा प्रकरण मे आदेश पारित किया जाता है एवं आगे की सुनवाई का कारण और दिनांक दिया जाता है |**
- **प्रकरण मे नोटिस, ईश्तेहार/ज्ञापन जाती किया जा सकता है |**
- **भूमि के संबंध मे संबंधित पटवारी या न्यायालय से प्रतिवेदन मंगाया जा सकता है |**

आवेदन की स्थिति देखने के लिए मुख्य पृष्ठ पर आवेदन क्रमांक डालकर स्टेटस चेक करें

राजस्व न्यायालय, छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व न्यायालय, छत्तीसगढ़ शासन

पीठासीन अधिकारी	Mukesh Gond
न्यायालय	न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, नवागढ़
पता	अनुविभागीय कार्यालय, नवागढ़
प्रकरण क्र.	202411230500001
प्रकरण वर्ष	2024-2025
रजिस्ट्रेशन दिनांक	04/11/2024
प्रकरण शीर्ष	अ-62
आवेदक	जसबीर सिंह पता-निवासी ग्राम नवागढ़ तहसील नवागढ़ जिला बेमेतरा (छ.ग.),
अनावेदक	छत्तीसगढ़ शासन पता-छत्तीसगढ़ शासन,
खसरा नं (विचारधीन रकबा)	112 (4.3000 हे.) ,
ग्राम	छेरकापुर
कुल जारी आर्डरशीट	0
जांच हेतु भेजने का दिनांक	प्रकरण जांच हेतु नहीं भेजा गया है
अगली सुनवाई दिनांक	-
सुनवाई विषय	-
क्षेत्र	ग्रामीण
प्रकरण की स्थिति	नस्तीबद्ध दिनांक :04/11/2024
वृक्ष कटाई निरीक्षण रिपोर्ट	देखेने हेतु क्लिक करें
वृक्ष कटाई प्रमाणपत्र	देखेने हेतु क्लिक करें
अभिलेख अद्यतन हेतु प्रेषित ?	नहीं	

अंतिम आदेश देखें

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 61] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 फरवरी 2022 — माघ 22, शक 1943

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 11 फरवरी 2022

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4–34/सात–1/2021.— छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 258 की उप–धारा (2) के खण्ड (इकसठ) तथा (बासठ) सहपठित धारा 240 एवं 241 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, वृक्षों की कटाई को विनियमित या रोकने संबंधी नियम, अधिसूचना क्रमांक एफ 2–8–सात–शा–8–94 दिनांक 29 जुलाई, 1997 तथा शासकीय वनों से लगे हुए ग्रामों में इमारती वृक्षों को गिराने तथा हटाने को विनियमित करने के संबंध में नियम अधिसूचना क्रमांक 218–6477–सात (नियम) दिनांक 6–1–1960 को अतिष्ठित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

नियम

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ.**– (1) ये नियम वृक्ष कटाई के नियम, 2022 कहलयेंगे।

(2) ये नियम संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में, जहां संहिता प्रभावशील है, लागू होंगे।

(3) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(4) नियमों में उल्लिखित शब्द ''संहिता'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959)।

2. **कोई वृक्ष.**–

(क) किसी जलधारा, झरने अथवा तालाब के किनारे के अंतिम किनारे से 20 मीटर के अंदर;

(ख) किसी पवित्र स्थान से 20 मीटर के क्षेत्र में सम्मिलित किसी उपवन में;

(ग) वन महोत्सव कार्यक्रम या उसके समान किसी अन्य योजना के अन्तर्गत वृक्षों की प्रजातियों के वृक्षारोपण के क्षेत्र में; अथवा

(घ) पड़ाव, कब्रस्तान अथवा श्मशान स्थल, गोठान, खलिहान, बाजार अथवा आबादी हेतु अलग किये गये किसी क्षेत्र; न तो काटा जायेगा, न गिराया जायेगा, न उसका तना छीलकर घेरा जायेगा, एवं न ही उसे अन्यथा क्षति पहुंचाया जायेगा।

स्पष्टीकरण—खंड (क) के उद्देश्यार्थ जलधारा में ऐसी समस्त सरिताएं, नदियां, छोटी नदियां एवं नाले शामिल होंगे जिनमें सामान्यतया दिसंबर के अंत तक पानी रहता है, परन्तु मानसून के दौरान पानी के बह निकलने से बनी छोटी अस्थायी नालियां शामिल नहीं होंगी।

3. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नियम 2 में निर्दिष्ट वृक्षों को काटने की अनुशंसा निम्नांकित परिस्थितियों में कर सकेगा, अर्थात्:—

(एक) ऐसे वृक्षों अथवा उनके भाग से जीवन एवं संपत्ति की कोई क्षति अथवा नुकसान होने की संभावना हो, या उससे पीने के पानी के दूषित होने की संभावना हो।

(दो) वृक्ष सूख गए हों, अथवा सूख रहे हों।

(तीन) ऐसे वृक्षों को हटाने से किसी जनोपयोगी स्थल की सुंदरता अथवा सुविधाओं में वृद्धि होने की संभावना हो।

(चार) ऐसे फलदार वृक्ष जो न फलने वाला हो, सूख गया हो।

(पांच) फल प्रजाति से अलग प्रजाति के ऐसे पेड़ विदोहन योग्य गोलाई के हों।(ऐसी विदोहन योग्य गोलाई संबंधित वनमंडल द्वारा निर्धारित की गई गोलाई मानी जाएगी।)

(छः) ऐसे पेड़ जिनका लोकहित में काटा जाना जरूरी हो गया हो।

4. छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) के अन्तर्गत गठित ग्राम सभा में पारित किए गए विधिमान्य संकल्प के बाद ग्राम पंचायत द्वारा प्रदत्त की गई लिखित अनुशंसा से निम्नांकित प्रजातियों के पेड़ जो शुष्क हो गए, अथवा शुष्क हो रहे हों काटे जा सकेंगे।

(एक) आम (मैंगीफेरा इण्डिका),

(दो) जामुन (साइजीयम क्यूमिनि),

(तीन) इमली (टैमेरेन्डस इंडिका),

(चार) महुआ (मधुका लेटिफोलिया),

(पांच) चंदन (सेंटलम अलबम),

(छः) खजूर को छोड़कर छिंद ताड़ एवं पाम की सभी अन्य प्रजातियां,

(सात) हर्रा (टर्मिनेलिया चेबुला)

(आठ) नीम (एजडीरेक्टा इंडिका),

(नौ) कदंब (एंथोसेफलस कदंबा),

परंतु यह कि किसी अन्य परिस्थितियों में, अर्थात जब कि वृक्ष शुष्क हो गए हों अथवा शुष्क हो रहे हों, से पृथक दशा में उपरोक्त प्रजातियों के पेड़ अनुविभागीय अधिकारी (रा.) की लिखित अनुशंसा के बगैर काटे नहीं जाएंगे।

5. शासकीय अथवा आधिपत्य विहीन भूमि पर खड़े वृक्ष अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के लिखित अनुशंसा के बगैर काटे नहीं जायेंगे:

परन्तु ग्राम पंचायत युक्तियुक्तरूपेण आहूत की गई सभा में पारित किए गए विधिमान्य संकल्प द्वारा संहिता की धारा 234 के अन्तर्गत तैयार किए गए निस्तार पत्रक के अनुसार उस ग्राम के निवासीगत को सिर्फ सह उपयोगार्थ ग्राम में का आधिपत्य विहीन भूमि से बबूल प्रजाति के वृक्षों की अथवा उनके भाग को काटने अथवा हटाने की अनुशंसा प्रदत्त कर सकेगी।

6. **वृक्षों का तहसील कार्यालय में पंजीयन.**— (1) किसी भूमिस्वामी के खाते में यदि प्राकृतिक रूप से उगे वृक्ष हों या इस नियम के प्रवृत्त होने के पूर्व या पश्चात् कृषि के रूप में रोपित किया गया हो और वे सुसंगत राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित न हो, तो वह इस नियम के प्रवृत्त होने के छः माह के भीतर तहसीलदार को तथा वन परिक्षेत्र अधिकारी को इसकी सूचना प्ररूप ''क'' में देगा।

(2) प्ररूप ''क'' में सूचना प्राप्ति उपरांत स्थल सत्यापन करने के पश्चात् तहसील कार्यालय प्ररूप—''ख'' में पंजीयन का कार्य करेगा। तहसीलदार पंजीकृत वृक्षों की प्रविष्टियां राजस्व अभिलेखों (पांचशाला खसरा) में करने का कार्य सुनिश्चित करेगा। वार्षिक गिरदावरी में भी अद्यतन स्थिति की प्रविष्टि सुसंगत राजस्व अभिलेखों में की जाएगी।

7. **प्राकृतिक रूप से उगे हुए वृक्षों की कटाई.**— (1) भूमिस्वामी अपने खाते में प्राकृतिक रूप से उगे हुए वृक्ष की कटाई हेतु आवेदन प्ररूप ''ग'' में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को देगा, जो संयुक्त निरीक्षण हेतु राजस्व निरीक्षक से अनिम्न राजस्व अधिकारी/कर्मचारी एवं वनपाल से अनिम्न वन अधिकारी/कर्मचारी को अग्रेषित करेगा। वृक्षों के विषय में भूमिस्वामी के हक, राजस्व अभिलेखों में पंजीयन, वृक्षों की शुष्कता/परिपक्वता, भूमिस्वामी के कृषि/व्यवसाय हेतु कटाई की अपरिहार्यता आदि को शामिल करते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन प्ररूप ''घ'' में 30 कार्य दिवस के भीतर प्रेषित की जायेगी। निर्धारित अवधि में निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने पर भी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अग्रिम कार्यवाही कर सकेगा।

(2) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भूमिस्वामी से आवेदन पत्र प्राप्ति के 45 कार्य दिवस के भीतर आवेदक एवं वन मण्डलाधिकारी को अपनी अनुशंसा प्ररूप ''ड.'' में भेजेगा। यदि आवेदक को 45 कार्य दिवस के भीतर अपने आवेदन पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का लिखित निर्णय प्राप्त नहीं होता है, वह दूसरे लिखित आवेदन व्दारा स्मरण पत्र दे सकेगा। यदि अगले 30 कार्य दिवस के भीतर पुनः अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का लिखित निर्णय प्राप्त नहीं होता है, तो यह उपधारणा की जाएगी कि आवेदन पर अनुशंसा प्रदान कर दी गई है तथा आवेदक आवेदित वृक्षों की कटाई हेतु स्वतंत्र होगा। इस उपधारित अनुशंसा के संबंध में हुए विलंब एवं नियमों के उल्लंघन, यदि कोई हों, के लिए उत्तरदायित्व अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का होगा।

(3) एक कैलेण्डर वर्ष में, एक खाते पर प्राकृतिक रूप से उगे अधिकतम 04 वृक्ष प्रति एकड़ के मान से एवं अधिकतम कुल 10 वृक्षों के कटाई की अनुशंसा की जा सकेगी।

(4) वृक्षों की कटाई, छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम, 2001 के प्रावधानों के अंतर्गत रहते हुए, भूमिस्वामी कर सकेगा। सक्षम अनुशंसा प्राप्ति के 30 कार्य दिवस के भीतर, वन मण्डलाधिकारी वृक्षों की कटाई एवं डिपो तक परिवहन सुनिश्चित करते हुए एवं निर्धारित दर पर लकड़ी का मूल्य परिगणित करते हुए कुल मूल्य का 90 प्रतिशत राशि भूमिस्वामी के बैंक खाते में निक्षेपित कराएगा एवं शेष 10 प्रतिशत राशि वन विभाग के निर्धारित खाते में जमा की जायेगी। जमा राशि से प्रत्येक काटे जाने वाले वृक्ष के 10 गुना की संख्या में वन विभाग व्दारा वृक्षारोपण एवं उनका अनुरक्षण किया जाएगा। वन विभाग व्दारा न्यूनतम 6 फीट के वृक्ष रोपित किए जाएंगे एवं रोपण की जानकारी प्रत्येक वर्ष अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के माध्यम से कलेक्टर को दी जायेगी।

(5) इन नियमों के तहत प्राप्त अनुशंसा आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य होगा।

8. **रोपित वृक्षों की कटाई.**— (1) छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम, 2001 के प्रावधानों के अंतर्गत रहते हुए, भूमिस्वामी अपने खाते में कृषि के रूप में रोपित वृक्षों की कटाई राजस्व अभिलेखों में पंजीयन के आधार पर करवा सकेगा। कटाई से एक माह पूर्व अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी को कटाई का कारण, प्रजाति एवं संख्या स्पष्ट उल्लेखित करते हुए सूचना प्ररूप ''च'' में देना आवश्यक होगा। सूचना के साथ पंजीयन संबंधी राजस्व अभिलेख एवं स्वघोषणा—पत्र प्ररूप ''छ'' में देना होगा। भूमिस्वामी व्दारा प्रस्तुत सूचना एवं स्वघोषणा—पत्र का दस्तावेजी एवं भौतिक सत्यापन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) वृक्ष कटाई के पूर्व पटवारी एवं वनपाल के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेगा।

(2) भूमिस्वामी व्दारा लिखित में इच्छा व्यक्त किए जाने पर उसके खाते में कृषि के रूप में रोपित वृक्षों की कटाई वन विभाग व्दारा की जा सकेगी। आवेदन प्राप्ति के 30 कार्य दिवस के भीतर, वन मण्डलाधिकारी वृक्षों की कटाई एवं डिपो तक परिवहन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित दर पर लकड़ी का मूल्य परिगणित करते हुए कुल मूल्य का 90 प्रतिशत राशि भूमिस्वामी के बैंक खाते में निक्षेपित कराएगा एवं शेष 10 प्रतिशत राशि वन विभाग के निर्धारित खाते में जमा की जाएगी.। जमा राशि से प्रत्येक काटे जाने वाले वृक्ष के 10 गुना की संख्या में वन विभाग व्दारा वृक्षारोपण एवं उनका अनुरक्षण किया जाएगा। वन विभाग व्दारा न्यूनतम 6 फीट के वृक्ष रोपित किए जाएंगे एवं रोपण की जानकारी प्रत्येक वर्ष अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के माध्यम से कलेक्टर को दी जायेगी।

9. **उल्लंघन पर शास्ति.**— (1) जब किसी राजस्व अधिकारी का यह विश्वास करने का कारण हो, कि कोई वृक्ष इन नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में काटा गया है, तो राजस्व अधिकारी द्वारा अथवा उसके लिखित आदेश के अन्तर्गत ऐसे वृक्ष का अधिग्रहण किया जा सकेगा।

(2) जहां राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से पृथक कोई अधिकारी हो, तो वहां ऐसे अधिग्रहण का प्रतिवेदन उसके द्वारा 07 कार्यदिवस के अंदर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को ऐसी कार्यवाही हेतु पेश की जाएगी, जैसा कि वह संहिता की धारा 253 के अन्तर्गत करना उचित माने।

10. इन नियमों के अंतर्गत जारी होने वाले आदेश/अनुशंसा के विरूद्ध अपील, पुनरीक्षण एवं पुर्नविलोकन इसी रीति में की जा सकेगी, जैसा कि संहिता में प्रावधानित है।

11. राज्य के अनुसूचित जनजाति वर्ग के भूमिस्वामी के संदर्भ में छत्तीसगढ़ आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, 1999 क्र. 12 सन् 1999) के प्रावधान लागू होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीलम नामदेव एक्का, सचिव.

प्ररूप—क
[नियम 6 (1) देखिये]
राजस्व अभिलेखों में वृक्षों/पौधों के रोपण की प्रविष्टियां को अभिलिखित करने की सूचना.

प्रति,

तहसीलदार
तहसील .... जिला................. (छत्तीसगढ़)

1. आवेदक का नाम ....

2. पिता/पति का नाम ....

3. ग्राम .... पटवारी हल्का नंबर .... तहसील .... जिला ....

4. निम्नानुसार दर्शित वृक्षों तथा पौधों का पंजीयन कराया जाना है :—

अनुक्रमांक	खसरा नंबर	रकबा	प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों का विवरण			पूर्व में रोपित पौधों/वृक्षों का विवरण			वर्तमान वर्ष में रोपित किये गये पौधों का विवरण				
			प्रजाति	संख्या		प्रजाति	संख्या		प्रजाति	संख्या		वृक्षारोपण माह	वृक्षारांपण की शासकीय योजना का नाम
				अंकों में	शब्दों में		अंकों में	शब्दों में		अंकों में	शब्दों में		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

5. कृपया उपरोक्तानुसार दर्शित वृक्षों/पौधों का विवरण का पंजीयन कर मेरे राजस्व अभिलेख में अभिलिखित करने का कष्ट करें।

संलग्न— रोपण के भूखण्ड की चारो दिशाओं से लिए गये 4 फोटोग्राफ

दिनांक ....
स्थान........................

(भूमि स्वामी के हस्ताक्षर)

प्रतिलिपि—

1. कलेक्टर जिला ....

2. वनमंडलाधिकारी ....

3. वन परिक्षेत्र अधिकारी, वन परिक्षेत्र .... जिला............ (छत्तीसगढ़)

(भूमि स्वामी के हस्ताक्षर)

पावती (अभिस्वीकृति)

.... पिता/पति श्री .... निवासी...
.... से दिनांक .... को सूचना प्राप्त किया गया।

(कार्यालय की सील) (प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर)

प्ररूप–ख
[नियम 6 (2) देखिये]

वृक्षों के पंजीयन हेतु पंजी

अनु.	तहसील	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम	खसरा नंबर	रकबा	प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों का विवरण				रोपित पौधों/वृक्षों का विवरण				
						प्रजाति	संख्या		भौतिक स्थिति (उंचाई एवं गोलाई)	प्रजाति	संख्या		भौतिक स्थिति (उंचाई एवं गोलाई)	वृक्षारोपण की शासकीय योजना का नाम
							अंकों में	शब्दों में			अंकों में	शब्दों में		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

प्ररूप–ग
[नियम 7 (1) देखिये]

वृक्ष कटाई हेतु आवेदन

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
अनुविभाग..जिला..छ.ग.

विषयः– वृक्ष कटाई हेतु आवेदन ।

तहसील...प.ह.नं. .... ग्राम...........................में स्थित मेरे हक एवं आधिपत्य के भूमि खसरा कमांक...................................... रकबा..........................के विषय में विवरण निम्नानुसार हैः–

(क) खाते पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति और संख्या...

(ख) खाते पर रोपित वृक्षों की प्रजाति और संख्या ....

(ग) पूर्व में इस खाते पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने की अनुशंसा दिनांक............................ को दी गई थी।

(घ) खाते पर सहखातेदारों का नाम...

उक्त वृक्षों में से मुझे कुल......................................(शब्दो में..) वृक्ष कटाई करवानी है, प्रजाति एवं संख्या सहित जिन्हें काटने का कारण निम्नानुसार हैः–

(क) खाते के शुष्क वृक्षों की प्रजाति, संख्या और भौतिक स्थिति...

(ख) खाते के परिपक्व वृक्षों की प्रजाति, संख्या और भौतिक स्थिति...

(ग) कृषि एवं व्यवसाय के हित में कटाई हेतु जरूरी वृक्षों की प्रजाति, संख्या और भौतिक स्थिति.......
....

(घ) अन्य कारण ....

कृपया उपरोक्त दर्शित वृक्षों की कटाई की अनुशंसा प्रदान करने का कष्ट करें।

भूमिस्वामी का नाम..

दिनांक सहित हस्ताक्षर..

संलग्नः–

1. बी–1/खसरा
2. सहखातेदारों की सहमति का शपथ पत्र
3. बैंक खाता का विवरण
4. रोपण के भूखण्ड की चारो दिशाओं से लिए गये 4 फोटोग्राफ

पावती

.... .पिता/पति श्री... निवासी..

.... से दिनांक...को आवेदन पत्र प्राप्त किया गया।

(कार्यालय की सील) (प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर)

प्ररूप—घ

[नियम 7 (1) देखिये]

निरीक्षण प्रतिवेदन

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

अनुविभाग..जिला..छ.ग.

विषयः— वृक्ष कटाई के संबंध में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन ।

संदर्भः— आपके न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक...दिनांक.......................

संदर्भित आदेश के अनुपालन में संयुक्त स्थल निरीक्षण दिनांक............................ को किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान साक्षी के रूप में निम्नलिखित उपस्थित रहे—

(क) आवेदक एवं उसके नातेदार ....

(ख) सरपंच / पंच ....

(ग) पटवारी / कोटवार ....

(घ) स्वतंत्र स्थानीय साक्षी ....

तहसील कार्यालय में हुए पंजीयन पंजी एवं राजस्व अभिलेख (बी—1 / खसरा) के अवलोकन के आधार पर खाते में स्थित वृक्षों का विवरण निम्नानुसार हैः—

(क) खाते पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति और संख्या ....

(ख) खाते पर रोपित वृक्षों की प्रजाति और संख्या ....

(ग) पूर्व में इस खाते पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने की अनुशंसा दिनांक ....को दी गई थी।

स्थल निरीक्षण से ज्ञात होता है कि—

(क) खाते के शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या ....

(ख) खाते के परिपक्व वृक्षों की प्रजाति संख्या ....

(ग) कृषि / व्यवसाय के हित में कटाई हेतु जरूरी वृक्षों की प्रजाति और संख्या ....

(घ) नियम 2 की लागू कंडिका,
यदि कोई हो ....

(ड.) अन्य विवरण ....
....

राजस्व अधिकारी का नाम,
पदनाम

हस्ताक्षर...

वन अधिकारी का नाम,
पदनाम

हस्ताक्षर.....................................

प्ररूप—ड.

[नियम 7(2)देखिये]

अनुशंसा

प्रति,

.... उम्र.................................

पिता/पति .... वर्ग.................................

ग्राम.. पटवारी हल्का नंबर...............

तहसील.. थाना..

जिला...

विषयः— प्राकृतिक रूप से उगे वृक्ष की कटाई हेतु अनुशंसा।

विषयान्तर्गत आपका आवेदन दिनांक....................................को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। राजस्व विभाग एवं वनविभाग के संयुक्त निरीक्षण हेतु ज्ञापन दिनांक...................................... को जारी किया गया। संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक..को प्राप्त हुआ। आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किया गया । स्थल पर कटाई हेतु आवेदित वृक्षों की स्थिति निम्नानुसार हैः— ....

अभिलेख एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि खसरा नंबर............... ग्राम................ .... प.ह.नं............................ तहसील.. स्थित वृक्ष जिनकी प्रजाति... एवं संख्या (क्रमशः) .... है, को काटे जाने पर संहिता के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतः वृक्ष कटाई के आवेदन पर अनुशंसा अभिव्यक्त की जाती है।

छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुशंसा शून्य होगी।

यह अनुशंसा आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी ।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
अनुविभाग......................................
जिला..................................(छ.ग.)

प्रतिलिपिः—

1. कलेक्टर जिला..
2. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल..को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
3. तहसीलदार, तहसील.. को वृक्ष कटाई पश्चात् राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
अनुविभाग......................................
जिला..................................(छ.ग.)

प्ररूप—च
[नियम 8(1) देखिये]

कृषि के रूप में रोपित वृक्षों को काटने की पूर्व सूचना हेतु सूचना—पत्र

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
अनुभाग ....जिला..छत्तीसगढ़।

विषय— भूमिस्वामी की भूमि में रोपित वृक्षों की कटाई हेतु सूचना पत्र।

——00——

महोदय,

मै .... पिता/पति का नाम .... ग्राम.......................... पटवारी हल्का नंबर.............. तहसील............................... थाना.. जिला.................................... छत्तीसगढ अपने स्वामित्व की भूमि खसरा नंबर...................ग्राम.................... में पूर्व में कृषि के रूप में रोपित वृक्षों की कटाई करना चाहता हूँ। ब्यौरा निम्नानुसार है :—

(1) काटे जाने वाले वृक्षों की प्रजाति ....
(2) काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या (क्रमशः) ....

इस सूचना पत्र की पावती तिथि को प्रथम दिन माना जाकर, इस दिन से 30 कार्यदिवस पूर्ण होने तक सक्षम अधिकारी के द्वारा कोई रोक नही लगाये जाने पर, उक्त अवधि व्यतीत होने के पश्चात् मेरे द्वारा उपरोक्त वृक्षों की कटाई प्रांरभ की जायेगी।

काटे गये वृक्षों का, छत्तीसगढ़ वनोपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 (क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत विरचित छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम, 2001 के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार परिवहन किया जायेगा।

संलग्न— (1) पंजीयन संबंधित राजस्व अभिलेख (पांचसाला खसरा) की प्रति
(2) स्वघोषणा पत्र

स्थान— ....
दिनांक— ....

(भूमिस्वामी के हस्ताक्षर)

प्रतिलिपि—

1. कलेक्टर जिला..................................
2. वनमंडलाधिकारी.................................
3. वन परिक्षेत्र अधिकारी, वन परिक्षेत्र.. जिला...................................... (छत्तीसगढ़)

.

(भूमिस्वामी के हस्ताक्षर)

प्ररूप–छ

[नियम 8(1) देखिये]

स्वघोषणा–पत्र

मैं...उम्र.............................. पिता/पति का नाम .... वर्ग... ग्राम... पटवारी हल्का नंबर............... तहसील................ थाना.. जिला...........................शपथ पूर्वक घोषित करता हूँ कि–

1. मैं अपने स्वामित्व की भूमि खसरा नंबर .... रकबा........................... ग्राम...........................प.ह.नं. .... में कृषि के रूप में रोपित निम्नानुसार प्रजातिवार संख्या में वृक्षों को काटना चाहता हूँ ।

....

2. मेरे व्दारा छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, (क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम, 2001 का पालन किया जाएगा ।

स्थान–................................
दिनांक–..................................

भूमिस्वामी का हस्ताक्षर

Atal Nagar, the 11th February 2022

NOTIFICATION

No.F- 4-34/Seven-1/2021.— In exercise of the powers conferred by clauses (lxi) and (lxii) of sub-section (2) of Section 258 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), read with Section 240 and 241, and in supersession of the rules regarding prohibition or regulation of the cutting of trees, Notification No. F.2-8-Seven-sha- 8-94, dated 29th July, 1997 and the rules regarding regulation of the felling and removal of timber in villages adjoining Government Forest's, Notification No 218-6477-Seven-Na (Rule), dated 06th January, 1960, the State Government, hereby, makes the following rules, namely: -

RULES

1. **Short title, extent and commencement.-** (1) These rules shall be called the Rules of Felling of Trees, 2022.

   (2) These rules shall be applicable in whole of the State of Chhattisgarh, where the Code is in effect.

   (3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

   (4) The word "Code" mentioned in rules means the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959).

2. No tree shall be cut, felled, girdled or otherwise damaged,-

   (a) within 20 metres of the extreme edge of the bank of any water course, spring or a tank;

   (b) over an area covered by a grove within a radius of 20 metres of a sacred place;

   (c) in the area under plantation of tree species under the Van Mahotsava programmeor under any other similar scheme;

   (d) over an area set apart for an encamping ground, burial or burning ground, gothan, threshing floor, bazaar or abadi.

Explanation – for the purposes of clause (a) a water course shall include all streams, rivers, rivulets and nallas which usually retain water up to the end of December, but shall not include small temporary channels formed by the run off of water during the monsoon.]

3. Sub-Divisional Officer (revenue) may recommend the cutting of trees specified in rule 2 in the circumstances enumerated below, namely: –

(i) the trees or part thereof are likely to cause any harm or damage to life and property or that there is likelihood of pollution of drinking water;

(ii) the trees are dead or dying;

(iii) the removal of trees is likely to beautify or increase amenities in a place of public utility;

(iv) fruit bearing trees, which have become sterile, dried trees;

(v) other fruit bearing species, which have attained the exploitable girth (girth fixed by the concerned forest division can be considered as exploitable girth);

(vi) trees, which are required to be cut in public interest.

4. Trees of the following species which are dead or dying can be cut with written recommendation, given by the Gram Panchayat after valid resolution passed in the Gram sabha constituted under the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994): –

(i) Mango (Mangifera indica)

(ii) Indian Blackberry (Syzygium Cumini)

(iii) Tamarind (Tamarindus Indica)

(iv) Mahua (Madhuca Latifolia)

(v) Chandan (Santalum Album)

(vi) Chhind, Taad and all other species of palm except Khajur

(vii) Harra (Terminalia Chebula)

(viii) Neem (Azadirachta Indica)

(ix) Kadamb (Anthocephalus Kadamba)

Provided that in any other circumstances, that is, other than when they are dead or dying, the trees of the above species shall not be cut without the written recommendation of the Sub-Divisional Officer (revenue).

5. Trees standing on Government or unoccupied land shall not be cut without the recommendation of the Sub-Divisional Officer (revenue):

Provided that the Gram Panchayat through a valid resolution passed in its duly convened meeting, may recommend cutting and removal of trees or parts thereof of Babool species from unoccupied lands in the village, for bonafide use of the residents of that village, in accordance with the Nistar Patrak Prepared under Section 234 of the Code.

6. Registration, in Tahsil office, of trees.- (1) If the land of any Bhumiswami has, tree, naturally grown or planted, as agriculture, before or after the coming into force of this rule, and it is not recorded in the relevant revenue records, the Bhumiswami shall give intimation in form-A to the Tahsildar and the forest range officer, within six months of the coming into force of this rule.

(2) On receiving the intimation in form-A, the Tahsil office shall register in From-B after field verification Tahsildar shall ensure the entries of the registered trees in the revenue (Panchsala khasra). The entries of current status shall be made in annual crop- survey also.

7. Felling of naturally grown trees. – (1) Bhumiswami shall give application in form-C, for felling of naturally growth trees on his land, to Sub-Divisional Officer (revenue), who will forward it for joint inspection to revenue officer/staff not below Revenue Inspector and forest officer/staff not below Vanpal. Inspection report in form-D, including the title of Bhumiswami with respect to the trees, registration in revenue records, death/maturity of trees, indispensability of felling for agriculture/business of Bhumiswami etc, within 30 workdays shall be sent. Sub-Divisional Office (revenue) may proceed without getting inspection report within prescribed period, also.

(2) Sub-Divisional Officer (revenue) shall send his recommendation in form-E, to applicant and Divisional Forest Officer, within 45 working of receiving the application. If the applicant does not receive written decision of Sub-Divisional Officer (revenue) on his application within 45 workdays, he may give reminder by another written application. If any written decision of Sub-Divisional Officer (revenue) is again not received in further period of 30 workdays, then it shall be deemed that the recommendation has been given on the application and the applicant shall be free for felling of asked trees. The Sub-Divisional Officer (revenue) shall be answerable for the delay and the contravention of rules, if any.

(3) The felling of naturally grown trees may be recommended for maximum 04 trees per acre and maximum 10 trees in total over a land holding, in a calendar year.

(4) Bhumiswami may cut down trees subject to the provisions of the Chhattisgarh Transit (Forest Produce) Rules, 2001, framed under the Chhattisgarh Van Upaj (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1969 (No. 9 of 1969) and Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927) within 30 workdays of receiving competent recommendation. Divisional Forest Officer, ensuring the felling of trees and transit to depo and calculating the value of log as per fixed rates, shall deposit 90% of total value in bank account of the Bhumiswami, and remaining 10% value shall be deposited in a fixed account of forest department. From deposited amount, forestation and their upkeep by forest department shall be done in number 10 times of each felled tree. Trees of minimum 6 feet shall be planted by forest department and the report of plantation shall be given to Collector, through Sub-Divisional Officer (revenue), each year.

(5) The recommendation, received under these rules, shall be valid till one calendar year from the date of application.

8. Felling of planted trees.- (1) Bhumiswami may cut down trees planted as agriculture in his land, subject to the provisions of the Chhattisgarh Transit (Forest Produce) Rules, 2001, framed under the Chhattisgarh Van Upaj (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1969 (No. 9 of 1969) and Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927). The intimation in from-F clearly mentioning the reason of cutting, species and number, is necessary to be given, one month prior to the cutting, to the Sub-Divisional Officer in form-G are to given with the intimation. Sub-Divisional Officer (revenue) shall ensure, through Patwari and Vanpal, the documentary and physical verification of the intimation and the self-declaration provided by Bhumiswami, before the felling of trees.

(2) The forest department, on written expression by the Bhumiswami, may cut down trees planted as agriculture in his land, within 30 workdays of the expression. Divisional Forest Officer, ensuring the felling of trees and transit to depo and calculating the value of log as per fixed rates, shall deposit 90% of total value in bank account of the Bhumiswami, and remaining 10% value shall be deposited in a fixed account of forest department. From deposited amount, forestation and their upkeep by forest department, shall be done in number 10 times of each felled tree. Trees of minimum 6 feet shall be planted by forest department and the report of plantation shall be given to Collector, through Sub-Divisional Officer (revenue), each year.

9. Punishment on contravention.- (1) When any revenue officer has reason to believe that a tree has been cut in contravention of the provisions of these rules, such tree may be seized by or under the written order of the revenue officer.

(2) Where the revenue officer is an officer other than the Sub-Divisional Officer (revenue) a report of such seizure shall, within 07 workdays, be made by him to the Sub-

Divisional Officer (revenue), for such action as he may deem fit under Section 253 of the Code.

10. The appeal, revision and review, against the order/recommendation issued under these rules, may be in the manner, as provisioned in the Code.

11. The provisions of the Chhattisgarh Adim Janjatiyon ka Sanrakshan (Vraksho me Hit) Adhiniyam, 1999 (No. 12 of 1999) shall be applicable in relation to the Bhumiswami of the Scheduled Tribes class of the State.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
NEELAM NAMDEO EKKA, Secretary.

FORM-A
[See rule 6(1)]

INTIMATION TO MAKE ENTRIES IN REVENUE RECORDS ABOUT TREES/PLANTATION

To
Tahsildar
Tahsil…………. District……………….(Chhattisgarh)

1. Name of Applicant…………………….
2. Name of Father/Husband…………………….
3. Village…………..Patwari Halka No……Tahsil…………..District……….
4. Trees and plants mentioned below are to be registered……….

S.No.	Khasara No.	Area	Details of Trees Grown naturally			Details of Trees planted earlier			Details of plantation in current years				
			species	Number		species	Number		species	Number		Month of plantation	Name. of government scheme of plantation.
				in digits	in words		in digits	in words		in digits	in words		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

5. Kindly make entries in my revenue records after registering the details of above mentioned trees/plantation.

Encl: - 4 photographs of the plantation site from all directions.

Dated…………
Place…………

(Signature of Bhumiswami)

Copy to-
1. Collector District…………
2. Divisional Forest Officer……
3. forest Range Officer, Range……….District……

(Signature of Bhumiswami)

RECEIPT

Received the intimation from ………………. father/husband……… ……………………..resident of …………….. on…………..(date).

(Seal of the Officer) (Signature of receiver)

FORM-B

[See rule 6(2)]

REGISTER FOR REGISTRATION OF TREES

S.No.	Tahsil	Patwari Halka No.	Details of trees grown naturally				Details of trees/plants planted				
			species	Number in digits	Number in words	Physical Status (height and Girth)	species	Number in digits	Number in words	Physical Status (height and Girth)	Name of Government scheme of plantation.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

FORM-C
[See rule 7(1)]

APPLICATION FOR FELLING OF TREE(S)

To,

Sub-Divisional Officer (revenue)
Sub-Division................District................Chhattisgarh

Subject:- Application for felling of tree(s).

The details of the land Khasra number .... area ....in village.............. Patwari Halka number ..... Tahsil...... under my tittle and possession is as follows:-

(a) Species and number of trees grown naturally ....

(b) Species and number of trees planted ....

(c) Date of previous recommendation for felling of trees grown naturally on this holding ....

(d) Name(s) of co-owner(s) in holding ....

Felling of total............(in words..............................) trees is to be done, the reason along with species and number is as follows:-

(a) Species, number and physical status of dead trees ....
....

(b) Species, number and physical status of mature trees ......
....

(c) Species, number and physical status of trees to be cut in interest of agriculture/business ....

(d) Other reason ....

Kindly provide recommendation for felling of above mentioned trees.

Name of Bhumiswami ....

Signature with date ....

Attached:-

1. B-1/Khasra
2. Affidavit of consent of co-owneres
3. Details of Bank account

4. Four photographs of the plantation site from all directions.

RECEIPT

Received the application from …………Father/Husband …………. resident of …………. on ……….(date)

(Seal of the office)

(Signature of receiver)

FORM-D
[See rule 7(1)]
INSPECTION REPORT

To,

Sub-Divisional Officer (revenue)
Sub-Division……………District………………….Chhattisgarh

Subject:- Inspection report regarding felling of trees.

Ref.- Memo No…………. dated …………… of your court.

In obeyance to the referred order, the joint field inspection was done on …….. (date). The following were persent as witness during the field inspection-

(a) Applicant and his kin ………………………………

(b) Sarpanch/Panch ……………………………………

(c) Patwari/Kotwar ……………………………………..

(d) Independent local witness ……………………….

The details of trees on the land as per registration of trees and revenue record (B-1/Khasra) are as follows:-

(a) Species and number of trees grown naturally ………………

(b) Species and number of trees planted ………………………..

(c) Date of previous recommentdation for felling of trees grown naturally on this holding …………………………………………….

Field inspection shows that,-

(a) Species and number of dead trees ……………………

(b) Species and number of mature trees ……………………

(c) Species and number of trees to be cut in interst of agriculture/ business ………………………………….

(d) Applicable clause of rule 2, if any, ………………………
(e) Other detail ……………………………………………………

Name of revenue officer…………
Post………………………………
Signature……………

Name of forest officer………………
Post………………………………
Signature……………………….

FORM-E
[See rule 7(2)]

RECOMMENDATION

To.

……………………………………………….Age…………………

Father/Husband………………………….Class…………………

Village……………….. ….Patwari Halka number………………

Tahsil……………… Thana …………… District………………….

Sub:- Recommendation for felling of trees grown naturally.

Your application under the subject was received in this office on…………….(date). The facts joint inspection of revenue department and forest department was issued on…………….(date). The facts mentioned in the application was verified. The status on field, trees applied for felling is as follows……………………………………………………………………………………………………… ……… …………………………

Based on records and field inspection, I concludes, that the felling of trees of species………. and number (respectively)………….. present on Khasra Number…….. Village………. Patwari Halka Number…………….. Tahsil……….. is not in contravention of provisions of the Code. Hence, the recommendation on application for felling of trees is expressed.

This recommendation will be void on non-compliance of the Chhattisgarh Transit (Forest Produce) Rules, 2001, framed under the Chhattisgarh Van Upaj (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1969 (No. 9 of 1969) and Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927).

This recommendation is valid till one calendar year from the date of application.

Sub-Divisional Officer (Revenue)

Sub-Division……………………

District………………………(C.G.)

Copy to

1. Collector, District………………..
2. Divisional Forest Officer, Division…………….,,for necessary action.
3. Tahsildar, Tahsil…………. for updating of revenue records after felling of trees.

Sub-Divisional Officer (Revenue)

Sub-Division……………………

District……………………(C.G.)

FORM-F
[See rule 8(2)]

INTIMATION BEFORE FELLING OF TREES PLANTED AS AGRICULTURE

To

Sub-Divisional Officer (revenue)
Sub-Division…………..District…………Chhattisgarh.

Sub:- Intimation of felling of forest on land.

I……………………Father/Husband…………………………Village…………….Patwari Halka Number………… Tahsil………… Thana……. District………. would like to cut down trees planted as agriculture earlier on land owned by me, Khasra Number………. village…………… . Detail is as follows-

1. Species of trees to be cut ………….
2. Numbers (respectively) of trees to be cut……….

I shall begin the felling of trees after the period of 30 work days, considering the receipt of the intimation as the first day, on no prohibition by competent officer within this period.

The transit of the log shall be in accordance with applicable provision of the Chhattisgarh Transit (Forest Produce) Rules, 2001, framed under the Chhattisgarh Van Upaj (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1969 (No. 9 of 1969) and Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927).

Attached

1. Copy of revenue record (Panchasala Khasra) related to registration.
2. Self-declaration

Place……….
Date……….

(Signature of Bhumiswami)

Copy to

1. Collector, District……………………….Chhattisgarh.
2. Divisional Forest Officer…………………….
3. Forest Range Officer, Range……., District………… .

(Signature of Bhumiswami)

FORM-G
[See rule 8(1)]

I................................ Father/Husband .... Village .... Patwari Halka Number.... Tahsil...................... Thana........... District.......................... declare under oath that-

1. I want to cut the trees, in number specified below with species, planted as agriculture in land of my ownership Khasra Number............... Area.......Village.............Patwari Halka Number........

2. I shall follow the Chhattisgarh Transit (Forest Produce) Rules, 2001, framed under the Chhattisgarh Van Upaj (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1969 (No. 9 of 1969) and Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927).

Place..........
Dated..........

(Signature of Bhumiswami)

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2022.